भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025

Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

दिनॉक: 06.06.2018

पत्र सं0 8बी / यू.पी. / 08 / 33 / 2018 / एफ.सी. / 1555

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन, छठवां तल,
बापू भवन, लखनऊ

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/WATER/32379/2018

विषयः आगरा में जल संपूर्ति (गंगा जल प्रोजेक्ट) के अन्तर्गत कैलाश मन्दिर से जीवनी मण्डी, वाटर वर्क्स तक उ0 प्र0 जल निगम आगरा द्वारा बिछायी गयी पाइप लाईन में प्रयुक्त अतिरिक्त 10.22375 हे0 आरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबध में।

सन्दर्भ–: क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक दिनांक– 18.05.2018 की कार्रवाई (REC Agenda item 28.2 -U.P.)

महोदय,

उपरोक्त विषय पर विषेष सचिव, उ0 प्र0 शासन का पत्रांक– पी69 / 14–2–2018–800(59)2018, दिनांक– 23.03.2018 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके तहत प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

प्रकरण को दिनांक– 18.05.2018 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में (REC Agenda item 28.2-UP) शामिल किया गया था जिसमें विचारोपरान्त प्रकरण को सशर्त स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः प्रकरण में क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की स्वीकृति उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार आगरा में जल संपूर्ति (गंगा जल प्रोजेक्ट) के अन्तर्गत कैलाष मन्दिर से जीवनी मण्डी, वाटर वर्क्स तक उ0 प्र0 जल निगम आगरा द्वारा बिछायी गयी पाइप लाईन में प्रयुक्त अतिरिक्त 10.22375 हे0 आरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती हैः–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (10.22375x2= 20.4475 ha.) अर्थात् 20.4475 हे0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघनस्वरूप प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (10.22375x2= 20.4475 ha.) अर्थात् 20.4475 हे0 पर दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।

   इसके अतिरिक्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् 20.4475 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव की योजना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाएगी।

3. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।

   (ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धांन्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

4. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward)एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।

5. पाइप हेतु खोदी गयी नाली मे पाइप डालने के उपरान्त पुनः ठीक से मिट्टी भरान किया जायेगा और उस पर लाठी बांस का बीज संघन रूप से रोपित किया जायेगा।

6. नाली से उत्सर्जित मलवे को सुरक्षित स्थल पर ढुलान करके ले जाया जाएगा।

7. पाईप लाईन के संरेखण (allignment) में बिना अनुमति कोई परिवर्तन नही किया जाएगा।

8. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

9. वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 29.1.2018 में दिए मार्गदर्शन के अनुसार दण्डात्मक राशि (Quantum of enalty) का निर्धारण करते हुए उपरोक्त राशि की वसुली एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाएगी

10. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र– 11–306/2014–एफ0सी0(pt.), दिनांक– 28.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुपालनार्थ अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी, वन्यजीव संरक्षण योजना, बौने औषधीय पौधों के वृक्षारोपण हेतु एवं अन्य मद् में जमा होने वाली धनराशि कैम्पा में जमा किये जाने के उपरान्त एवं गैर वन भूमि प्रत्यावर्तन के मामलों में गैर वन भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण के उपरान्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रकरण में प्रस्तावित वृक्षों का पातन एवं कार्य आरम्भ किया जा सकता है।

11. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं/वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो लागू हो, प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय,

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा, उ0 प्र0।
5. परियोजना प्रबन्धक, गंगाजल परियोजना ईकाई, उ0 प्र0 जल निगम, आगरा, उ0 प्र0।
6. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश प्रत्रावली

06.6.18

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}